न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, पाली

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 49/2017

अपीलान्ट : –

1. उम्मेदाराम वल्द जीवाजी
2. भोमाराम वल्द थानाजी

जातिगण मारू कुम्हार निवासीगण बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री नारायणलाल कुमावत विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 26/02/2020

अपीलान्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 इस आशय की प्रस्तुत की कि अपीलान्ट ने वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान का तकारी अधिनियम का विरूद्व रेस्पोडेन्ट इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर पूर्व तहसील बाली के खसरा नम्बर 122/5 पुराना सेंटलमेंट रकबा 6 बीधा 13 बिस्वा किस्म बारानी दोयम जिसके सेंटलमेंट के पश्चात वर्तमान खसरा नम्बर 645 रकबा 0.71 हेक्टेयर है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त वक्त काश्तकारी अधिनियम लागू होने से यानि संवत् 2012 से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर लगातार वादीगण का कब्जाकाश्त होने से संवत् 2030 से 2033 में उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी द्वारा वादीगण के नाम नियमन की गई। यह भूमि वादीगण के नाम 2030 से 2033 में प्रतिवादी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नियमन की गई, नियमन के 10 वर्श पश्चात् लगातार कब्जाकाश्त होने से वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना था जो नहीं कर वादीगण को उपरोक्त भूमि पर अतिकर्मी माना और वादीगण के कब्जे का अधिकरण मानते हुये खसरा परिवर्तनशील में अतिकर्मी बताया। संवत् 2043 से 2049 में अतिकर्मी बताया तथा भू प्रबंध वालों ने पूर्व खसरा संख्या 122/5 के वर्तमान खसरा नम्बर 645 का रकबा पूर्व रकबे से कम दर्ज कर दिया। जो नकल खसरा मिलान वादपत्र के साथ पेश की है। बावजूद वादीगण के नाम उक्त भूमि वादीगण का उक्त भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त होने से प्रतिवादी द्वारा नियमन की गई, नियमन के बावजूद भी राजस्व रेकर्ड के विरूद्व व नियमन आदेश के विरूद्व वादीगण के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली की कार्यवाही कर रहे है जबकि उक्त भूमि कोई वादीगण का लगातार 30 वर्शो से अधिक समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। जिससे भी वादीगण को उक्त भूमि पर खातेदारी हक अधिकार कानूनन प्राप्त हो गये है। इस कारण से भी वादीगण उक्त भूमि के खातेदार घोषित किये जाने संबंधित न्याय व नियमों के अनुकूल है। परन्तु प्रतिवादी द्वारा नियमों एवं कानून के मंशा के विपरित कार्य कर वादीगण को बेदखल करने हेतु तुले हुये है। जिसको उन्हें किसी भी कानून के तहत अधिकार ही प्राप्त नहीं है। इस कारण से वादीगण द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व वाद वास्ते घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया और प्रतिवादी ने जवाबदावा पेश किया। तत्पश्चात् वादी द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू.1 व 2 वादीगण स्वंय, पी.डब्ल्यू.3 भांकर और पी.डब्ल्यू.4 सोहनसिंह के बयान कलमबद्व करवाये साथ में वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 15 तक दस्तोवज प्रदर्शित करवाये। तत्पश्चात् आदेश न्यायालय ने तनकीयात कायम कर दिनांक 29.11.2007 को उक्त वाद खारिज कर निर्णय व डिक्री जारी की। जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने श्रीमान न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। बाद दोनों पक्षों के सुनवाई कर अपील प्रस्तुत की। जो श्रीमान न्यायालय में अपील संख्या 8/2008 उम्मेदाराम वगैरा बनाम सरकार दर्ज रजिस्टर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जाकर दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 27.01.2012 को श्रीमान न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2007 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमांण्ड किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजों के प्रमाणित प्रतिलिपि के संदर्भ में व तहसीलदार सुमेरपुर से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद का विस्तृत जवाब प्राप्त कर उसके पश्चात् साक्ष्य सबूतों के विवेचन उपरान्त तनकीयात कायम करने के उपरान्त पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे निर्णय पारित करें। जिस पर वाद पुनः अधीनस्थ न्यायालय में राजस्व वाद संख्या 41/2012 (पुराने 56/2003) पंजीबद्व किया गया। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 24.01.2014 को वादी के वाद का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् वाद वादी के साक्ष्य हेतु मुकर्रर होने से वादी पी.डब्ल्यू.1 उम्मेदाराम के व पी.डब्ल्यू.2 के रूप में हल्का पटवारी भांति मीणा बयान कलमबद्व करवाकर दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 23 तक प्रदर्शित करवाये। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में न्याय आपके द्वार एवं बिरामी में वादीगण को बिना सुने ही जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की। जिसके विरूद्व यह अपील वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 जो उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के राजस्व वाद सख्या 41/2012 (पुराने नम्बर 56/2003) बअनवान उम्मेदाराम वगैरा बनाम सरकार के प्रस्तुत की। जिस पर रेस्पोडेन्ट को जरिये समन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पेरोकार ने उपस्थिति दी। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु मुकर्रर की गई। अपीलान्ट ने बहस के दौरान वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादीगण का ग्राम बिरामी पूर्व तहसील बाली उपखण्ड में था परन्तु सुमेरपुर उपखण्ड सर्जित होने पर ग्राम बिरामी अब सुमेरपुर उपखण्ड में है। मौजा ग्राम बिरामी की सीमा में पुराने खसरा नम्बर 122 सरकारी सिवाय चक दर्ज भूमि थी। जिसमें अपीलान्ट के पिता व अन्य कई काश्तकार काश्त करते थे। अपीलान्ट के पिता का कब्जाकाश्त पुराने खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा पर कब्जाकाश्त वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2012 से चला आ रहा था और लगातार उक्त भूमि पर अपीलान्ट के पिता के कब्जाकाश्त के आधार पर ग्राम बिरामी में भू आवंटन/नियमन समिति की बैठक में अपीलान्ट के पिता का खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा की भूमि का नियमन किया गया। तत्पश्चात् बाली तहसील में हैक्टयर ईकाई अपनाते हुये सेटलमेंट की कार्यवाही की गई। जिसमें अपीलान्ट के पिता के नियमन सुदा कृषि भूमि के खसरा नम्बर 122/5 का नया नम्बर 645 बनाया गया। जिसके रकबे में रद्दोबदल की केवल 0.79 हैक्टेयर दर्ज कर दिया गया अर्थात सेटलमेंट विभाग ने उक्त कृषि भूमि के नये नम्बर 645 का रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कम विधि विरूद्व तरीके से तथा बिना अधिकार के दर्ज किया गया और उपरोक्त अपीलान्ट के पिता की नियमन सुदा भूमि पर अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट का लगातार कब्जाकाश्त रहने के बावजूद भी नियमन आदेश के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही प्रारंभ कर दिया तथा जुर्माना वसूला तथा अपीलान्ट के काश्त का निलाम कर दिया गया। जिसके दस्तावेज वाद के साथ अपीलान्ट ने प्रदर्शित करवाया।

अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि वादीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का जवाब प्रतिवादी द्वारा वाद के अभिवचनों का Specific denian नहीं कर अप्रत्यक्ष रूप से वादी के वाद को स्वीकार किया है। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह स्पष्ट कथन किया है कि *"ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर के गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि के हाल सेटलमेंट खसरा नम्बर 645 रकबा 0.79 हेक्टेयर बने है जमाबंदी संवत् 2026 से 2033 में गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि जीवा पुत्र किशना व थाना पुत्र लाला कौम कुम्हार के नाम नियमन होने का नोट लगा हुआ है।"* इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी जमाबंदी संवत् 2026 से 2033 में खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि अपीलान्ट के पिता जीवा पुत्र किशना व थाना पुत्र लाला कौम कुम्हार के नाम नियमन होने के तथ्य को स्वीकार करता है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में यह कही कथन नहीं किया कि उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बीघा 13 बिस्वा अपीलान्ट के पिता का नियमन नहीं हुई हो या जमाबंदी संवत् 2013 से 2033 में लगा नियमन का नोट गलत हो। प्रतिवादी यह भी कथन नहीं करता कि अपीलान्ट के पिता को उपरोक्त कृशि भूमि के नियमन होने का आदेश उसके कब्जे व संरक्षण में नहीं है क्योकि लैंड रिकोर्ड रूल्स के अनुसार राजस्व रेकर्ड की देखरेख व संरक्षण व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी प्रतिवादी की है तथा उपरोक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट का लगतार कब्जाकाश्त रहा है। इस तथ्य की पुष्टि उपरोक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट के पिता का लगातार संवत् 2012 से कब्जाकाश्त रहा। इसी कारण से नियमन कमेठी द्वारा लगातार कब्जे के आधार पर अपीलान्ट के पिता को उक्त कब्जे के नियमन का आदेश पारित किया तथा आज दिन तक लगातार कब्जा है। इस तथ्य की पुष्टि भी प्रतिवादी द्वारा अपीलान्ट को उक्त कृषि भूमि पर किये जा रहे कब्जेकाश्त को नियमन आदेश के विरूद्व अतिकर्मी मानकर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जाती रही है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट व उसके पिता का उक्त कृषि पर संवत् 2012 से आज दिन तक लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में यह भी कथन नहीं किया। इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी के वाद के अभिवचनो का खण्डन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 1 के अनुसार प्रत्येक तथ्य का खण्डन विनिर्दिष्ट रूप से नहीं कर वादी के वाद को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 (प्रद f 15) व खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2036 (प्रदर्श 17), खसरा परिवर्तनशील संवत् 2016 (प्रदर्श18, प्रदर्श19, प्रदर्श20, प्रदर्श21, प्रदर्श22) में इन्द्राज वादीगण के पिता के नाम के आगे नियमन होना स्पष्ट रूप से अंकित हैं। उसके बावजूद भी प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे के साथ ऐसे नियमन को निरस्त किये जाने बाबत् कोई दस्तावेज जवाबदावे के साथ पेश नहीं किया। जब अपीलान्ट वादीगण के पुराने कब्जे के आधार पर नियमन समिति ने अपीलान्ट के पिता के कब्जे को सही मानकर उक्त कृषि भूमि को नियमन की है तथा सम्पूर्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेवन्यू रेकर्ड में कृषि भूमि नियमन अपीलान्ट के पिता को होने बाबत् इन्द्राज किया हुआ है। तब रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी के लिये यह आवश्यक था कि वह अपीलान्ट वादीगण के क्लेम को फर्जी मानने के लिए खुद रेकर्ड पेश करे क्योकि राजस्व रेकर्ड का धारक स्वंय प्रतिवादी है। जो नहीं कर प्रतिवादी ने वादीगण के वाद को स्वीकार किया है। इसके विपरित वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में गवाह पी.डब्ल्यू1 स्वंय उम्मेदाराम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कथन किया है कि *"ग्राम बिरामी में स्थित कृशि भूमि गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा किस्म बी1 मेरे स्वर्गीय पिता जीवा पुत्र किशन व थाना पुत्र लाला कौम कुम्हार के नाम से नियमन हुई थी। जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में दर्ज है। जो जमाबंदी वाद के साथ प्रदर्श 1 के रूप में प्रदर्शित करवाई है। इसमें ए से बी के मध्य का नोट नियमन का इन्द्राज दर्ज है। जो तत्कालीन पटवारी द्वारा नियमन आदेश की पालना का इन्द्राज किया गया। वादी उम्मेदाराम ने यह भी कथन किया कि उक्त कृशि भूमि पर हमारे पूर्वजो का व हमारा कब्जा संवत् 2012 के पहले का यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियन 1955 के प्रभाव के आने से पहले का है। राजस्व लगान हम ही अदा करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि पर निंविवादित रूप से हमारा पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। हम वादीगण ने गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि के खातेदारी नियमन आदेश एवं 1955 के पूर्व का कब्जाकाश्त एवं 30 वर्ष से अधिक पुराना कब्जा होने से एडवर्स कब्जे के सिद्वान्त पर खातेदारी पाने के अधिकारी है। हमारे उक्त नियमन आदेश आज दिन तक निरस्त नहीं हुए है।"* वादी ने यह भी कथन किया है कि मैं स्वर्गीय जीवाजी का एकमात्र वारिश हूं तथा थानाजी का वारिश भोमाराम है। हमारे पूर्वजों का संवत् 2012 से कब्जाकाश्त होने से भूमि नियमन हुई थी आज भी हम काश्त करते आ रहे है। नियमन राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण के पिता का संवत् 2012 से यानि राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पहले

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा लगातार कब्जेकाश्त के आधार पर अपीलान्ट के पिता को उक्त कृषि भूमि के कब्जे को खातेदारी नियमन नियमन कमेठी द्वारा किया गया। वाद के समर्थन में दस्तावेज प्रदर्श 1 से प्रदर्श 23 पेश किये। जिसमें उक्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त व नियमन बाबत् इन्द्राज है। साथ में गवाह पी डब्ल्यू2 भोशाराम, गवाह पी डब्ल्यू3 भांकर, गवाह पी डब्ल्यू4 सोहनसिंह को पेश किया । जिन्होने ने भी अपने बयानों में वादीगण के वाद में दर्ज तथ्यों का समर्थन करते हुये वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण के पिता पुराना कब्जाकाश्त जोधपुर स्टेट के समय से होने का स्पष्ट कथन किया है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन होने के बावजूद भी कथन किया है। वादीगण द्वारा गवाह के रूप में हल्का पटवारी बिरामी को तलब कर बयान करवाया गया। जिस पर हल्का पटवारी भाांति मीणा के बयान कलमबद्व करवाये गये। जिसमें हल्का पटवारी स्वंय अप्रत्यक्ष रूप से वादी के वाद के तथ्यों को अपने बयानों में स्वीकार कर रही है। हल्का पटवारी भाांति मीणा न यह स्पष्ट कथन किया है कि *"ग्राम बिरामी की जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 प्रद f 1 में ए से बी इन्द्राज प्रविष्टि अनुसार गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि जीवा पुत्र किशना व थाना पुत्र लाला कौम कुम्हार को नियमन होना अंकित है।"* तथा यह भी कथन किया है कि *"मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3 के अनुसार गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर बने है।"* इस प्रकार हल्का पटवारी भाांति मीणा ने समस्त प्रदर्शित दस्तावेजों को स्वीकार करते हुये उक्त कृशि भूमि पर वादीगण का लगातार कब्जाकाश्त होना भी स्वीकार किया है। हल्का पटवारी ने भी यह कहीं कथन नहीं किया है उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट के पिता को नियमन नहीं हुई। उपरोक्त तथ्यों, गवाहों एवं दस्तावेज सबूतों के आधार पर वादीगण ने वाद को साबित किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने येाग्य है।

प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार ने बहस में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनों को दोहराते हुये कथन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पड़त पड़ी है। उक्त कृषि भूमि पर वादीगण व उनके पिता का कब्जा मात्र अतिकर्मी की हैसियत से रहा और लगातार अपीलान्ट वादीगण के विरूद्व अतिकर्मी की कार्यवाही की जा रही है। जिसके नोटिस धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के पत्रावली पर पेश वादीगण द्वारा कियें गये है। वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलान्ट वादीगण के पिता को नियमन हुई हो। ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर नहीं है। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान अधिवक्ताओं के बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा ग्राम बिरामी के खसरा नम्बर 122/5 के रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा की भूमि के सेटलमेंट के पश्चात् वर्तमान बने। जिस संबंध में पत्रावली पर मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 है। उक्त कृषि भूमि सेटलमेंट से पूर्व अपीलान्ट के पिता जीवा पुत्र किशना व थाना वल्द लाला जाति मारू कुम्हार को नियमन की जा चुकी थी और इस हेतु जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में स्पष्ट रूप से नोट डाला हुआ है। जो जमाबंदी प्रदर्श 1 के ए से बी हिस्से में *"नियमन जीवा वल्द किशना, थाना वल्द लाला कौम मारू कुम्हार"* का अंकन है। तत्पश्चात् के समस्त दस्तावेज ज़माबंदी संवत् 2030 से 2033 प्रदर्श पी2 में ए से बी हिस्से में *"नोट जीवा पुत्र किशना, थाना पुत्र लाला कौम मारू कुम्हार नियमन 6.13 बीघा"* यह अंकन उक्त कृषि भूमि पिता जीवा पुत्र किशना व थाना वल्द लाला जाति मारू कुम्हार नियमन होने बाबत् नोट अंकित है। खसरा गिरदावरी संवत् 2034 से 2036 प्रदर्श 17 के कॉलम संख्या 6 में *"जीवा पिता किशना व थाना पिता लाला कौम मारू कुम्हार नियमन"* अंकित है। खसरा परिवर्तनशील संवत् 2017 जो प्रदर्श 18 में कॉलम संख्या 4 में कृषक के रूप में वादीगण के पिता का नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार भी वादीगण खातेदारी

अधिकार अर्जित कर लेते है और इनको खातेदारी अधिकार उक्त कृषि भूमि पर कानूनन प्राप्त हो जाते है। इसी प्रकार आर.बी. जे (10) 2003 पेज 205 सरकार बनाम प्रेमशंकर व अन्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि " The Section 19 to the Rajasthan Tenancy Act provides the procedure for acquiring Khatedari rights. Section 19 (1–A) was added to remove the difficulties. This is one of major land reform introduced by the Act to confer Khatedari rights on sub-tenants and tenants of Kasht. The persons falling in this category acquire the Khatedari rights automatically without any step being taken by them. Further in view of the continous possession over the subject land of the wirt petitioners prior the year 1946 and they being sub-tenant on the date of commencement of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 have automatically acquired khatedri rights. इसी प्रकार आर.बी.जे (15) 2008 पेरा नंबर 17 व 21 नेताराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर में उक्त कथन की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श 19 में क्रम संख्या 39 पर जीवा वल्द किशना व थाना वल्द लाला के आगे अंतिम कॉलम में नियमन का नोट लगाकर खातेदार अंकित किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उपरोक्त कृषि भूमि बाबत् खसरा संख्या 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा की भूमि के अपीलान्ट के पिता को नियमन होने संबंधी रेवन्यू अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नोट डाला हुआ है। चूंकि रेवन्यू रेकर्ड में किया गया किसी भी तरह की प्रविष्टि के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि वह प्रविष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से इन्द्राज की गई है। जब तक उस उपधारणा का

किया

खण्डन नहीं जाता है। जबकि उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन नहीं हुई हो इस संबंध में प्रतिवादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये। यहा तक की प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे में भी उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन नहीं हुई हो। ऐसा कोई कथन तक नहीं किया तथा प्रतिवादी ने जवाबदावे में यह स्पष्ट कथन किया कि जमाबंदी संवत् 2026 से 2033 में गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि जीवा पुत्र किशना व थाना पुत्र लाला कौम कुम्हार के नाम नियमन होने का नोट लगा हुआ है। यानि प्रतिवादी स्वंय इस तथ्य को स्वीकार करते है कि उपरोक्त कृषि भूमि अपीलान्ट वादीगण के पिता को नियमन होने का नोट जमाबंदी में अंकित है। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन होने बाबत् व जमाबंदी संवत् 2036 से 2033 व अन्य दस्तावेजों में नियमन का अंकित होने के बाबत् तथ्यों का खण्डन तक नहीं किया। प्रतिवादी स्वंय रिकॉर्ड धारक है एवं उनके द्वारा उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन नहीं की हैं या उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन की गई है, उस नियमन आदेश को निरस्त कर दिया है। इस संबंध में कोई दस्तावेज या आदेश न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये है। प्रतिवादी के अधीनस्थ हल्का पटवारी शांति मीणा को वादीगण की ओर से बतौर साक्ष्य न्यायालय में तलब किया गया है। जिसने भी यह कथन किया कि जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 के प्रदर्श 1 में ए से बी इन्द्राज प्रविष्टि अनुसार गत खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा भूमि जीवा पुत्र किशना व थाना पुत्र लाला कौम कुम्हार को नियमन होना अंकित है। मेरी राय में वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन होना जाहिर प्रतीत होता है। इसी कारण से उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में सक्षम अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि का नियमन वादीगण के पिता जीवा वल्द किशना व थाना वल्द लाला कौम कुम्हार को नियमन होना की प्रविष्टि की गई है। जिसकी कानूनन सही होने की उपधारणा की जाती है और चूंकि प्रतिवादी स्वंय रेवन्यू रिकॉर्ड का धारक है इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कारण से उपरोक्त कृषि भूमि के नियमन आदेश उनके कब्जे व संरक्षण में था। जो स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था जो नहीं किया तथा न ही कोई इस बाबत् कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। ऐसी स्थिति में उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता को नियमन होने बाबत् स्पष्ट जाहिर होता है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट वादीगण के पिता का कब्जेकाश्त का प्रश्न है तो वादग्रस्त कृषि भूमि के जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में उपरोक्त कृषि भूमि के नियमन होने का इन्द्राज है। कृषि भूमि का नियमन, नियमन कानूनों के तहत किसी सरकारी भूमि पर लगातार निर्विवादित कब्जा रहने पर कब्जे को नियमन सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इससे भी स्पष्ट है कि वादीगण के पिता का कब्जा उपरोक्त कृषि भूमि पर लगातार व निर्विवादित रूप से रहने पर वादग्रस्त कृषि भूमि को सक्षम अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट वादी के पिता को नियमन की गई। इस संबंध में वादी ने अपने वाद में यह कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण के पिता कब्जाकाश्त काश्तकारी अधिनियम लागू होने से यानि संवत् 2012 से लगातार कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस संबंध में गवाह वादीगण स्वंय उम्मेदाराम व भोमाराम ने कथन किया कि हमारे पूर्वजों व हमारा उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा संवत् 2012 के पहले का यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने का पहले का है। जो लगातार आज दिन तक उक्त कृषि भूमि पर इस संबंध में गांव के गवाह पी डब्ल्यू3 भांकर व गवाह पी डब्ल्यू4 सोहनसिंह भी उपस्थित हुये एवं उन्होने भी कथन किया कि उक्त कृषि भूमि पर स्टेट समय से अपीलान्ट के पिता का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इसके खण्डन में प्रतिवादी द्वारा न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई न ही किसी तरह से ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व या संवत् 2012 में उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट के पिता का कब्जाकाश्त नहीं रहा हो। यानि इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि नियमन आदेश से पूर्व अपीलान्ट के पिता का उक्त कृषि भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त नहीं रहा हो। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवाहों व अन्य दस्तावेजों के आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पर इस तथ्य से भी नहीं नकारा जा सकता कि उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट के पिता का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व कब्जा नहीं रहा हो। इस आधार पर भी जब अपीलान्ट के पिता जीवा पुत्र किशना व थाना पुत्र लाला का उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व कब्जाकाश्त था तथा वर्तमान में लगातार कब्जाकाश्त वादीगण का चला आ रहा है। यह तथ्य वादीगण द्वारा वाद में कथनों व साक्ष्य व दस्तावेज सबूतों के आधार पर साबित कर दिया गया है। उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण के पिता जीवा पुत्र किशना व थाना पुत्र लाला कौम कुम्हार का राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के प्रभाव में आने से पूर्व से लगातार कब्जाकाश्त रहने के पश्चात् उक्त कृषि भूमि को सक्षम अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट वादीगण के पिता को नियमन की जाती है। तत्पश्चात् लगातार उपरोक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट के पिता व तत्पश्चात् अपीलान्ट वादीगण का कब्जाकाश्त उपरोक्त कृषि भूमि पर चला आ रहा है। लेकिन पश्चात्वृति जमांबदी में उपरोक्त नियमन आदेश का इन्द्राज नहीं करने से उपरोक्त कृषि भूमि सिवाय चक चली आ रही है और प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि पर वादीगण के कब्जेकाश्त को अतिकर्मी मानकर उनके विरूद्व लगातार धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की जा रही है। जो कथन स्वंय प्रतिवादी अपने जवाब में यह स्पष्ट अंकित करता है कि जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में भूमि राजस्थान सरकार के खाते में इन्द्राज है। वादीगण अतिकर्मी होने से उनके विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही होती रही है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि उपरोक्त कृषि भूमि पर नियमन आदेश के बाद भी लगातार अपीलान्ट के पिता व अपीलान्ट का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रदर्श 1 से 23 तक दस्तावेज प्रस्तुत किये। उपरोक्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट व उनके पिता का लगातार संवत् 2012 से व तत्पश्चात् नियमन आदेश से कब्जाकाश्त नहीं रहा हो ऐसा भी कोई कथन प्रतिवादी ने अपने जवाब में नहीं किया तथा न ही कोई दस्तावेज इस संबंध में प्रस्तुत किये। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावे में यह अंकन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया गया कि वादीगण रेकर्ड के अनुसार अतिकर्मी है तथा हल्का पटवारी भांति मीणा द्वारा भी अपने बयानों में यह कथन किया गया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि उम्मेदाराम वगैरा का कब्जा होना बताया गया है, परन्तु मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इससे स्पष्ट है कि नियमन आदेश के बाद अपीलान्ट वादीगण का उक्त कृषि भूमि पर लगातार कब्जाकाश्त होने से भी अपीलान्ट वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के खातेदार अधिकार प्राप्त कर लिये है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम किये गये विवाधक बिन्दू संख्या 1 वादीगण ने साबित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कायम किये गये विवाधक संख्या 2 व 3 के संबंध में मेरी राय यह है कि जहां तक विवाधक संख्या 1 ने वादी ने साबित कर दिया हैं ऐसी स्थिति में विवाधक संख्या 2 भी साबित माना जायेगा तथा विवाधक संख्या 3 के संबंध में यह स्पष्ट अंकित है कि जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 प्रदर्श 1 में खसरा नम्बर 122/5 रकबा 6.13 बिस्वा अंकित है। तत्पश्चात् मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4 से स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा संख्या 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर बनाया गया। जिसमें रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कम दर्ज किया गया है। स्वंय प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में भी यह स्पष्ट अंकित किया है कि ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर के खसरा संख्या 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर बने है। उक्त कथन हल्का पटवारी ने भी अपने बयानों में किया है। लेकिन उपरोक्त कृषि भूमि के पुराने नम्बर 122/5 की जमाबंदी संवत् 2026 से 2029 में उपरोक्त कृषि भूमि के नियमन होने का नोट अंकित चला आ रहा था। सेटलमेंट के पश्चात् उपरोक्त कृषि भूमि को सिवाय चक दर्ज की गई। जिस संबंध में सेटलमेंट विभाग को कानूनन कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग ने अपने अधिकारों से परे जाकर नियमन सुदा भूमि का सेटलमेंट के दौरान सिवाय चक दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विधि विरूद्व तरीके से दर्ज की गई। इस प्रकार विवाधक बिन्दू 3 भी वादी ने साबित किया।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 41/2012 पुराने नम्बर 56/2003 बअनवान उम्मेदाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 को अपास्त किया जाता है। तथा अपीलांटगण को वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर की वर्तमान खसरा संख्या 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का खातेदार घोषित किया जाता है। इस हेतु तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण को बतौर खातेदार इन्द्राज किया जावें। खसरा संख्या 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर बनें है जिसमें सेटलमेंट विभाग नें पुरानें रकबा सें नया रकबा, रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कम दर्ज किया गया, जिस हेतु वादीगण अलग से कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेगे तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। आज दिनांक 26/02/2020 को खुले में न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

डिक्री पर्चा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय, पाली

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 49/2017

अपीलान्ट : –

1. उम्मेदाराम वल्द जीवाजी
2. भोमाराम वल्द थानाजी

जातिगण मारू कुम्हार निवासीगण बिरामी तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेन्ट : राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. श्री नारायणलाल कुमावत विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

परिणाम स्वरूप अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2012 पुराने नम्बर 56/2003 बअनवान उम्मेदाराम बनाम सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण को वादग्रस्त कृशि भूमि मौजा ग्राम बिरामी तहसील सुमेरपुर की वर्तमान खसरा संख्या 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का खातेदार घोशित किया जाता है। खसरा संख्या 122/5 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 645 रकबा 0.79 हैक्टेयर बनें है जिसमें सेटलमेंट विभाग नें पुरानें रकबा सें नया रकबा, रकबा 1 बीघा 13

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

बिस्वा कम दर्ज किया गया, जिस हेतु वादीगण अलग से कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र रहेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 26/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली